

प्रेषक,

अशोक कुमार  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 10 नवम्बर, 2015

विषय:-जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद-सम्मल मार्ग (एम0डी0आर0 संख्या-69) के किमी0 13 से 14 के मध्य ग्राम मसेवी रसूलपुर के गाटा संख्या-112 में विकसित किये रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.052 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-958/मुरादाबाद- 10873/ यूपी-024/2015, दिनांक 02-11-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि है कि जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद-सम्मल मार्ग (एम0डी0आर0 संख्या-69) के किमी0 13 से 14 के मध्य ग्राम मसेवी रसूलपुर के गाटा संख्या-112 में विकसित किये रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.052 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भाग-3 तथा भाग-4 में सक्षम स्तर की संस्तुति मूल प्रति शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव विषयगत प्रस्ताव से सम्बन्धित भाग-3 तथा भाग-4 में सक्षम स्तर की संस्तुति की मूल प्रति (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

( अशोक कुमार )  
विशेष सचिव।

संख्या-2912/14-2-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

  
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)  
अनु सचिव।